कार्यालय निदेशक, पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।
संख्याः1/ 16 ०९/2015-1/500/2014,
लखनऊः दिनांक 19 फरवरी, 2015
-: आदेशः-

शासकीय आदेश संख्याःबी-3 1703/10/128/57 दिनांक 27 अगस्त, 1973 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-246 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासकीय आदेश संख्या-बी-3-2034(2)/दस-2014-20(12)/14 मो0वा0 दिनांक 19 सितम्बर, 2015 के अन्तर्गत रुपया: 2,00,000/-(रुपये दो लाख मात्र) की धनराशि आवंटित हुई है, जिसके कम में निम्न प्रतिबन्धों के साथ संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि आवंटित की जाती है:

1- मोटरकार/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड/साइकिल की कीमत स्वीकृत धनराशि से कम हो तो बकाया धनराशि तुरन्त लौटा दी जायेगी। मोटर कार/स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल क्रय करने के लिए जो धनराशि स्वीकृत की गयी है वह धन व्यय के वास्ते पर्याप्त है। इसे स्वीकृति की तिथि से एक माह के अन्दर अथवा दिनांक 31-03-2015 तक खजाने से अवश्य निकाल लेना चाहिए वरना यह स्वीकृति लागू नहीं होगीं इस अग्रिम की वसूली संलग्न सूची में उल्लिखित किश्तों में की जायेगी। स्वीकृत किए जाने वाले मोटर कारअग्रिम पर ब्याज की दर अनन्तिम रूप से 14.00 प्रतिशत तथा स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल अग्रिमों पर ब्याज की दर अनन्तिम रूप से 10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी किन्तु समय पर ऋण/ब्याज के प्रतिदान/भुगतान होने पर ब्याज में 2.50 प्रतिशत की की छूट दी जायेगीं संबंधित कर्मचारी को इस आशय का एक लिखित आश्वासन देना होगा कि जो भी ब्याज दरे अन्तिम रूप से निर्धारित होगी वे उन्हे मान्य होगी।

2- अग्रिम में से मोटरकार/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड/साइकिल भाड़ा/हायर पर्चेज अथवा किश्तों द्वारा नही खरीदी जायेगी।

3- सभी संबंधित कर्मचारी बिल बनाये जाने तथा उसके कोषागार में पेश किए जाने के फार्म/प्रपत्र-25ए पर अपना अनुबन्ध पत्र भरेगें और निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कोभेज देगें। इसके बाद अग्रिम से मोटरकार/स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल खरीदे और अनुबन्ध-पत्र की तिथि से एक माह के भीतर क्रय की गयी स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल के लिए दिए गये ऋण के निमित सरकार के हित में रेहन कर, रजिस्ट्रीकरण रेहननामा/फार्म-25 पर प्रस्तुत करेगें।

4- इसके बाद वे मोटरकार/स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल खरीदे जाने की तिथि से एक माह के भीतर उसका समाविष्ट बीमा करायेगें। क्रय की रसीद,लाइसेन्स और बीमा की पालिसी की प्रति प्रतिलिपियाँ तथा अन्य कागजात जिससे यह पता चल सके कि मोटरकार/स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल क्रय की गयी तथा उसका बीमा कराया गया है, महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजने हेतु निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश को भेजेगें। इसके साथ यह भी प्रमाण-पत्र दिया जाय कि मोटरकार/स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल की वास्तविक कीमत

क्या है और बाकी धनराशि यदि बची हो तो उसके वापस जमा करने की तिथि आदि भी सूचित करके वॉछित पत्रादि धनराशि प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर प्राप्त हो जाने चाहिए, अन्यथा नियमानुसार अग्रिम धनराशि उपभोग न करने पर पूरी रकम मय व्याज के एकमुश्त वसूल कर ली जायेगीं।

5– बन्धक अन्त में शिड्यूल को ध्यान से भरना चाहिए। शिड्यूल में विवरण दिए जाने चाहिए जैसे इंजन नम्बर कि मोटरकार/स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल का नम्बर तथा चेचिस और उसकी कीमत आदि।

6– उपरोक्त व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में वित्त विभाग की अनुदान संख्या–61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–7610–सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि आयोजनेत्तर–202–मोटरकार/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड/साइकिल क्रय करने के लिए अग्रिम–03–राज्य कर्मचारियों को मोटर वाहनक्रय करने के लिए अग्रिम–30–निदेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

16.2.15

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायतीराज,उ0प्र0।

संख्याः1/ 1600 /1/2015 उक्तदिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उ0प्र0,इलाहाबाद कोशासकीय आदेश संख्या–बी–3–2034(2)/दस–2014–20(12)/14 मो0वा0 दिनांक 19 सितम्बर, 2014 के संदर्भ में।
2– उप सचिव, वित्त, आय–व्ययक अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को शासनादेश दिनांक 19 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4– आहरण वितरण अधिकारी/आंकिक, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0।
5– संबंधित कर्मचारी, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0।
6– एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

आदेश सं0-1/160/2015-1/500/2014 दिनांक 19 फरवरी, 2015 का संलग्नक

क्रसं	कर्मचारी का पदनाम तथा पता सर्वश्री	वाहन का प्रकार	मूलवेतन	सेवा निवृत्ति की तिथि	स्वीकृत धनराशि	किश्तों की संख्या	वसूली हेतु धनराशि
1	एस0बी0 पाटनी, प्रधान सहायक, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।	मोटर साइकिल	11800	30.04.2022	24000	24	1000
2	लाल चन्द्र प्रधान सहायक, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।	मोटर साइकिल	17790	30.09.2028	24000	24	1000
3	दिनेश कुमार शर्मा, लेखाकार, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।	मोटर साइकिल	16280	30.04.2028	24000	24	1000
4	दिनेश कुमार, वरिष्ठ सहायक पंचायती राज निदेशालय,उ0प्र0।	मोटर साइकिल	9760	31.07.2029	24000	24	1000
5	शिवकुमार बन्डर लिफ्टर, पंचायती राज निदेशालय,उ0प्र0।	मोटर साइकिल	12640	30.12.2018	24000	16	1500
6	राम प्रकाश, दफ्तरी, पंचायती राज निदेशालय,उ0प्र0।	मोटर साइकिल	11530	31.01.2022	24000	24	1000
7	शत्रोहन सिंह, साइक्लो स्टाइल आपरेटर, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।	मोटर साइकिल	12620	30.04.2019	24000	24	1000
8	मंशा राम, चपरासी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।	मोपेड	6710	31.08.2032	15000	30	500
9	राजेन्द्र सिंह, चपरासी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।	मोपेड	6700	28.02.2039	15000	30	500
		योग			198000		

(रूपया एक लाख अठ्ठानवे हजार मात्र)

(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
पंचायती राज,उत्तर प्रदेश।